

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

भंवर सिंह वगैराह बनाम भावना शर्मा सहायक कलक्टर बांड़ीकुई वगैरा
 किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण
 मु0न0 11/2023

21.02.2023

अधिवक्ता प्रार्थी श्री सतीश कुमार पारीक उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) बांड़ीकुई से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण से तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की जाकर पत्रावली दिनांक 13.03.2023 को पेश हो।


 अति० जिला कलक्टर
 दोसा

तद्वि०
 127
 21-2-23
 NoTICF
 28-2-23
 23-2-23

13-3-23

आज बार द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखन।
 न्यायालय के कारण गत आदेशों की पालना में
 पत्रावली निम्न दिनांक 5-4-23 को पेश हो।

जुजाड़ी सिंह


05-4-23

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अपार्थी सं० ५
 एजरी सिंह उपस्थित। अपार्थी सं० ५ द्वारा निवेदन
 किया गया कि न्यायालय सहायक कलक्टर
 (फास्टट्रेक) बांड़ीकुई में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण
 को न्यायालय उपखण्ड इंचिकारी बसवा के अधिन
 किया जा चुका है। इसलिये विचाराधीन प्रार्थना
 पत्र स्थानान्तरण को चलाये जाने का औचित्य नहीं है।
 अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्य उनकी जानकारी
 में नहीं होना उचित किया गया।

जुजाड़ी सिंह

अपार्थी सं० ५ के रुचन पर भ्रमन किया एवं
 पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में
 प्राप्त सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) बांड़ीकुई की
 टिप्पणी/तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकितानुसार
 विचाराधीन प्रकरण उनवानी भंवर सिंह बनाम
 अधिवक्ता प्रार्थी वगैरा नवसृजित न्यायालय उपखण्ड
 इंचिकारी बसवा के क्षेत्राधिकार में आने के
 कारण।





कारण पत्रांक 29 दिनांक 14-3-2023 द्वारा उक्त प्रकरण
उपखण्ड अधिकारी बसवा को प्रेषित किया जा चुका है।

प्रार्थना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण
श्रीमती भावना शर्मा पीठाधीन अधिकारी न्यायालय सहायक
कलम्वर (फास्ट ट्रेक) बोडी मुई के विरुद्ध जेश किया गया
है, जिसे द्वारा प्रशनगत प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी बसवा को प्रेषित किया जा चुका है। ऐसी
स्थिति में विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण सारधीन
एवं प्रभावधीन हो जाने से खारिज किया जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना श्री अंवरसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति
राजपूत निवासी वडिमाल खुई तहसील बसवा जिला
दोसा व अन्य द्वारा न्यायालय सहायक कलम्वर (फास्ट
ट्रेक) बोडी मुई में विचाराधीन उनवानी प्रकरण अंवरसिंह
वनाम अंवरसिंह कौरा मु.नं. 51/2017 व बाद उनवानी
अंवरसिंह वनाम अंवरसिंह कौरा मु.नं. 69/2017 (कन्सोलिडेट
वाद) को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण सारधीन व प्रभावधीन होने
से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ
न्यायालय सहायक कलम्वर (फास्ट ट्रेक) बोडी मुई को
मिलवाई जाये। पत्रावली फेसल मुठार की जाकर नम्बर
से क्रम हो एवं बाद प्रति प्रविष्ट लेख मुठार की जाये।
निर्णय आज दिनांक 05-4-2023 को मेरे द्वारा खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय पूर्व
461
17-4-23

